Online Special Counselling Schedule
(7^{th} Round)
(for All Non admitted candidates upto Round 6)
GROUP-A, B, C, D, F, G, H, I, K1 To K8 & L

Sl.	Counseling Activities	Date
	Round – 07	
1	(i) 7^{th} Round Choice Filling on vacant seats after Round 6 (ii) **Choice Filling for Minority Special Quota Seats in existing Minority Institutions**	04/09/2025 to 08/09/2025
2	7^{th} Round seat allotment	09/09/2025
3	7^{th} Round for Allotted Candidates deposit Security + Counseling fee through their Login (online) All allotted seats will be auto freezed	10/09/2025 to 12/09/2025
4	Document Verification at the district Help Centers	10/09/2025 to 13/09/2025 (up to 5:00 PM)
5	Seat Withdrawal for Round 7	14/09/2025
6	Last date for Reporting at Allotted Institute	15/09/2025 (Up to 5:00 PM)

<u>विशेष काउन्सिलिंग के सातवें चरण हेतु दिशा-निर्देश:-</u>

1. विशेष काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर लॉगिन करते हुए प्रवेश हेतु चयनित संस्था/पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आई0डी0 अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध <u>Forget Password</u> का चयन कर पासवर्ड <u>Reset</u> कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
2. विशेष काउन्सिलिंग का सातवां चरण ऑनलाइन होगा तथा इस चरण में वे अभ्यर्थी ही प्रतिभाग कर सकेंगे जिन्होंने छठे चरण तक किसी भी सीट पर प्रवेश नहीं लिया है अथवा Withdrawal Option का चयन नहीं किया गया है।
3. सातवें चरण में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केन्द्रों पर किया जायेगा। अभ्यर्थी प्रदेश में स्थापित किसी भी सहायता केन्द्र पर जाकर प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
4. सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु0 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/- पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केन्द्र पर जाना होगा। डाक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में रिपोर्ट कर **निर्धारित तिथि 15 सितम्बर, 2025 को अपराह्न 5:00 बजे**

5. यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में सीट एक्सेप्टैंस शुल्क जमा नहीं कर पाता है अथवा सहायता केन्द्र पर जाकर अभिलेख सत्यापित नहीं करा पाता है तो उसका संस्था/ पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा अभ्यर्थी विशेष काउन्सिलिंग से बाहर हो जायेगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम से छठें चरण तक अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है उन्हें सातवें चरण में सीट आवंटन की दशा में पुनः अभिलेख सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है।

6. अभ्यर्थी विशेष काउन्सिलिंग के सातवें चरण में निर्धारित तिथि में उपलब्ध करायी गयी SEAT WITHDRAWAL की ऑनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेप्टैंस फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे।

7. काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रु0 3000/- को अभ्यर्थियों द्वारा Withdrawal विकल्प का चयन करते समय जिस बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा, उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफन्ड किया जायेगा एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

8. आवंटित संस्था द्वारा यदि संस्था/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग अभ्यर्थी से की जाती है तो अभ्यर्थी प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिक शुल्क की मांग का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

9. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, वर्ग एवं उपवर्ग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आय, निवास, ई0डब्लू0एस0, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में शिक्षण शुल्क जमा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी को यदि संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच करने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में उसे प्रवेश प्रदान कराने हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। प्रतिकूल स्थिति में ऐसी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

10. प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप, अल्पसंख्यक संस्थान एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजी0 एवं अन्य पाठ्यक्रम तथा अल्पसंख्यक संस्थान की 50 प्रतिशत विशेष अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश आवंटन केवल आनॅलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।

11. संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की एन0आई0सी0 के पोर्टल पर दिनांक **15.09.2025 को अपराहन 5:00 बजे तक पी0आई0 (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग** करनी अनिवार्य होगी, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के सॉफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा। यदि संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक पी0आई0 (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त

92

12. विशेष काउन्सिलिंग के सातवें **चरण द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में दिनांक 15.09.2025 की सांय 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा लें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।**

13. अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु उनके डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन, शुल्क जमा करने एवं कछाओं के संचालन की तिथि की सूचना विभिन्न माध्यमों से दी जायेगीः-

1- विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से।

2- आवंटित संस्था के द्वारा अभ्यर्थी के मो.नं. पर एस0एम0एस0 अथवा व्हाट्सऐप के माध्यम से।

3- अभ्यर्थियों के मो.नं. पर व्यक्तिगत संपर्क किया जाना।

4- प्रवेश की समस्त राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0, निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इंजीनियरिंग संस्थाएं एवं अल्प संख्यक समुदाय की संस्थाओं द्वारा अपने संस्थान के नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करेंगे।

14. **समस्त प्रक्रिया एन0आई0सी0 के पोर्टल पर सम्पन्न की जायेगी।**